2015/00036

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मालौनीखुर्द)

पीठासीन अधिकारी : विनोद कुमार मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 08/2015

1–भरतसिंह 2–सिरदारसिंह पुत्रगण श्री बीधा कौम गोलापूरव निवासी ग्राम मालौनीखुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....वादीगण

बनाम

1–बेतालसिंह पुत्रश्री नेकराम जाति गोलापूरव निवासी ग्राम मालौनीखुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
2–राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा धौलपुर जरिये प्रबन्धक
3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

.....प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति : 1–श्री भरतसिंह वगैरा – वादीगण
2–बेतालसिंह – प्रतिवादी

निर्णय दनांक : 29.5.2017

वादीगण की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में इन तथ्यों के साथ पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 772 रकवा 3 बिस्वा वाके ग्राम मालौनी खुर्द तहसील सैपऊ जिसका कि साविक खसरा नम्बर 79 रकवा 04 बिस्वा था के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार वादीगण के पिता बीधा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता नेकराम थे । लेकिन बन्दोवस्त विभाग द्वारा बन्दोवस्ती कार्यवाही के समय वादीगण के पिता का नाम लोपित कर अकेले प्रतिवादी के पिता नेकराम के नाम तन्हा इन्द्राज कर दिये जिसका वन्दोवस्त विभाग को अधिकार नही था । मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादी वहिस्सा बराबर काबिज होकर काश्त कर रहे है । प्रतिवादी के पिता नेकराम का देहान्त होने पर जरिये विरासत समस्त आराजी पर प्रतिवादी बेतालसिंह का नाम दर्ज कर दिया गया है । दावा दायरी से एक माह पूर्व वादीगण को गलत इन्द्राज की जानकारी हुई । वादीगण ने प्रतिवादी से खाता दुरूस्त कराने को कहा तो इंकारी हो गये । इसलिए वादीगण को वाद दायर कर खाता दुरूस्त कराया जाना आवश्यक हो गया । वादीगण विवादित आराजी में स्वंय को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का निवेदन किया है ।

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट,
ग्राम पंचायत मालौनीखुर्द

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आया एवं आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार –2017 में कैम्प के दौरान वादीगण के कथनों को स्वीकार कर लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया तथा दावा डिकी किये जाने की प्रार्थना की ।

हमने वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं पत्रावली का अवलोकन किया । वादीगण का कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 772 रकवा 3 बिस्वा जिसका कि साविक खसरा नम्बर 79 रकवा 04 बिस्वा है कि संयुक्त खातेदार काश्तकार वादीगण के पिता स्व0 बीधा एवं प्रतिवादी के पिता स्व0 नेकराम थे । वादीगण के इस कथन की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 21 जो बन्दोवस्त से पूर्व की है से होती है । बन्दोवस्त द्वारा की गई त्रुटि की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी बन्दोवस्त के इन्द्राज से होती है जिसमें विवादित आरजी पर पर अकेले नेकराम का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया है । इसका यही आशय है कि बन्दोवस्त विभाग द्वारा बिना किसी अधिकार के वादीगण के पिता का नाम विवादित आराजी से लोपित किया गया है । चूंकि स्व0 नेकराम का देहान्त हो जाने के उपरान्त गलत इन्द्राज अनुसार विरासत का नामा0 खोले जाते समय प्रतिवादी का नाम अंकित किया गया है जो वर्तमान में दर्ज है । उपरोक्त समस्त त्रुटियों को प्रतिवादीगण द्वारा भी स्वीकार कर राजीनामा प्रस्तुत किया है । उपरोक्त विवेचन अनुसार लोक अदालत की भावना से हम दावा वादीगण डिकी किया जाना उचित समझते है ।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाता है । वादीगण को विवादित आराजी खसरा नम्बर 772 रकवा 3 बिस्वा ग्राम मालौनी खुर्द तहसील सैपऊ पर बहिस्सा बराबर 1/2 भाग का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । राजस्व रिकार्ड में वर्तमान इन्द्राजात को लोपित कर उपरोक्तानुसार दुरूस्ती कर इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है । पर्चा डिकी जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.5.2017 को मरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
अटल सेवा केन्द्र मालौनीखुर्द